

फर्द अहकाम



(नियम 26)

अज अदालत महसुदा कलकटा एवं उपखण्ड अधिकारी मुकाम: मसूदा

..... मसूदा (अजमेर) राज०

..... श्री नानूराम बनाम श्री सोवेंलाल व अन्य

किस्म मुकदमा U/s 38, 188 R.T Act नं. 40/2019

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
4/8/19	<p>वादीगण के अधिवक्ता उपस्थित। जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी (अर्थात 2 को पक्षकार बनने हेतु प्रार्थना पत्र धारा 80(2) CrP का सल्लान है। इनके एवं न्यायहित में सुरक्षित रखते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। दवा दर्ज रजिस्टर है। प्रतिवादीगण की लालची हेतु सम्मन जारी है। पत्रावली दिनांक 9/8/19 को पेश है।</p> <p style="text-align: center;">  (मोहनलाल चट्टनावलिया) उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर) राज. </p> <p>9/8/19 वादी के अधिवक्ता उपस्थित। वादी के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र वास्तु में विद्युत शक्ति का शक्ति का हेतु पेश किया। अधिवक्ता वादी ने कथन किया कि प्रकरण में वादीगण अपने उक्त प्रकरण के आगे चलाना नहीं चाहते हैं वाद को विद्रो करना चाहते हैं पक्षकार के मध्य लोक अदालत की भावना से शजिनात है गया है अतः प्रकरण के आज ही विद्रो कर खारिज किमे जाने से इच्छा प्रकट करी है। प्रार्थना पत्र पर बट्टा सुनी गयी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण को शजिनात होने से विद्रो कर खारिज किया जाता है मिसल केसल सुकार हेतु नम्बर के कम हो वाद फावर दाखिल है।</p> <p style="text-align: right;">  (मोहनलाल चट्टनावलिया) उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर) राज. </p>	<p>नामूराम</p>

